BCCI BULLETIN

Vol. 53 | DECEMBER 2022 | No. 12

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

विनम्र श्रद्धांजलि

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की पूज्य माताश्री श्रीमती हीरा बेन के निधन पर विनम्र श्रद्धांजलि।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की 95वीं वार्षिक आम सभा सम्पन्न

आम सभा की अध्यक्षता करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी बाँयीं ओर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं संयुक्त सचिव श्री सुरेश राम। दायीं ओर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल।

सभागार में उपस्थित चैम्बर के सदस्यगण

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की 95वीं वार्षिक आम सभा चैम्बर सभागार में दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 को सम्पन्न हुई।

आम सभा में माल एवं सेवा कर (GST), उद्योग, उर्जा, इन्फ्रास्ट्रक्चर (रेलवे एवं ट्रांसपोर्ट), सूचना प्रोद्योगिकी, संचार, पर्यटन, श्रम, सूचना का अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किये गये।

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

नववर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएँ। नव वर्ष आपके, आपके परिजनों, आपके व्यापार एवं उद्योग के लिए प्रगति एवं समृद्धि लाये, यही मेरी शुभकामना है।

दिनांक 20 दिसम्बर 2022 को चैम्बर की 95वीं वार्षिक आम सभा सम्पन्न हुई। इसमें माल एवं सेवा कर (GST), उद्योग, उर्जा, इन्फ्रास्ट्रक्चर (रिलवे एवं ट्रांसपोर्ट), सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, पर्यटन, श्रम एवं सूचना के अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किये गए।

केन्द्रीय बजट 2023–24 के लिए चैम्बर की ओर से बजट पूर्व ज्ञापन माननीया वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामण जी को भेजा गया है। ज्ञापन में प्रमुख रूप से • **बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देने की मांग दुहरायी गयी है** • **उत्तर बिहार को गैस पाईप लाईन से जोड़ने** • **जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना** • **टी.डी.एस./टी.सी.एस. का विलम्ब से भुगतान पर लगने वाले दण्ड शुल्क को व्यवहारिक बनाने** • **आयकर छूट की सीमा को कम से कम 5 लाख करते हुए आयकर स्लैब की सीमा को तर्क संगत बनाने** • **राज्य में लगने वाले उद्योगों को कम से कम 5 साल के लिए करावकाश की सुविधा देने सहित कई मांग की गयी है।** चैम्बर द्वारा समर्पित ज्ञापन विस्तृत रूप से इसी बुलेटिन में माननीय सदस्यों की सूचनार्थ प्रकाशित है।

दिनांक 20 दिसम्बर 2022 को माननीय वित्त (वाणिज्य–कर) मंत्री श्री बिजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में राज्य के आगामी बजट 2023–24 पर Taxation से संबंधित सुझाव आमंत्रित करने हेतु बजट पूर्व बैठक आयोजित की गयी थी। चैम्बर द्वारा Taxation से संबंधित विस्तृत ज्ञापन विचारार्थ समर्पित किया गया।

माननीय वित्त (वाणिज्य–कर) मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में उद्योगों से संबंधित विषयों पर राज्य के आगामी बजट 2023–24 पर सुझाव आमंत्रित करने हेतु बजट पूर्व बैठक दिनांक 22 दिसम्बर 2022 को आयोजित हुई। माननीय उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, डॉ0 एस. सिद्धार्थ एवं प्रधान सचिव, उद्योग विभाग श्री संदीप पौंड्रिक भी बैठक में उपस्थित थे। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से राज्य के उद्योग से संबंधित विस्तृत ज्ञापन समर्पित किया गया। **उक्त बैठक में श्री सुभाष कुमार पटवारी, संयोजक, उद्योग उप–समिति, श्री ए. के. पी. सिन्हा, संयोजक, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट उप–समिति एवं श्री सुनील सराफ, अधिवक्ता, कार्यकारिणी सदस्य सम्मिलित हुए।**

माननीय वित्त मंत्री, बिहार श्री विजय कुमार चौधरी जी की बात बिल्कुल सही है कि "जरूरतमंदों को सौ चक्कर लगाने के बाद भी बैंको से ऋण नहीं मिलता है।" यह बात माननीय वित्त मंत्री ने दिनांक 21.12.2022 को **नाबार्ड का बिहार स्टेट फोकस पेपर 2023–24** का अनावरण करने के बाद बैंक अधिकारियों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने सभी बैंकर्स एवं हितधारकों को यह निर्देश दिया कि नाबार्ड द्वारा क्षेत्रवार दर्शाये गए ऋण संभाव्यता के सापेक्ष लाभार्थियों को अधिकाधिक बैंक ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

चैम्बर के लिए खुशी की बात है कि मालसलामी, पटना सिटी में नवनिर्मित सामुदायिक भवन का नाम चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष स्व0 ओ0 पी0 साह के नाम पर रखा गया है। जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कर–कमलों द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर 2022 को हुआ।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने दो हजार लीटर तक गंदा पानी बहाने वाली औद्योगिक इकाइयों को बड़ी राहत दी है। अब इन औद्योगिक इकाइयों को मंहगा ऑनलाइन कंटीन्यूअस इफ्यूलेंट मानिटरिंग सिस्टम (OCEMS) नहीं लगाना पड़ेगा। बस फ्लो मीटर लगाने से ही काम चल जायेगा। **CPCB के इस निर्णय से गंगा और यमुना बेसिन के सात राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों (दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखण्ड व बंगाल) की लगभग कई लाख औद्योगिक इकाइयों को लाभ होगा। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज भी कई बार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से औद्योगिक इकाइयों के लिए छूट की मांग करता रहा था।**

जीएसटी परिषद ने दिनांक 17 दिसम्बर 2022 को हुई 48वीं बैठक में कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। इससे संबंधित Reccommendations इसी बुलेटीन में प्रकाशित की गयी है।

श्री आर. एस. भट्टी जी बिहार के नये डीजीपी बने हैं। श्री भट्टी पटना में बतौर सिटी एस.पी., आईजी के अतिरिक्त सिवान में एसएसपी–सह–डीआईजी की जिम्मेवारी निभा चुके हैं। **बिहार के डीजीपी के पद पर श्री भट्टी की नियुक्ति से बिहार की आम जनता विशेष कर व्यवसायी वर्ग में भरोसेमंद सुरक्षा की भावना जागृत हुई है।**

बन्धुओं, कोरोना वापस आ गया है। **अतः मास्क लगाकर एवं दूरी बना कर रहें तथा भीड़–भाड़ से बचें। जान है तो जहान है।**

अंत में एक बार पुनः नव वर्ष की शुभकामनाएँ।

सादर,

आपका

पी0 के0 अग्रवाल

अध्यक्ष

चैम्बर द्वारा माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में बजट पूर्व बैठक में चैम्बर द्वारा उद्योग से संबंधित सुझाव समर्पित

बैठक की अध्यक्षता करते मा. वित्त मंत्री, बिहार श्री विजय कुमार चौधरी, उनकी बाँयी ओर मा. उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ। दाँयी ओर वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ एवं उद्योग विभाग के प्रधान सचिव श्री संदीप पौंड्रिक। बाँये किनारे पर उपस्थित चैम्बर के श्री सुभाष कुमार पटवारी, संयोजक इंडस्ट्री सब-कमिटी, श्री ए. के. पी. सिन्हा, संयोजक, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सब-कमिटी एवं श्री सुनील सराफ, अधिवक्ता, कार्यकारिणी सदस्य।

बैठक में उपस्थित (दाँये से) श्री सुभाष कुमार पटवारी, संयोजक, इण्डस्ट्रीज सब-कमिटी, श्री ए. के. पी. सिन्हा, संयोजक, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सब कमिटी एवं श्री सुनील सराफ, अधिवक्ता, कार्यकारिणी सदस्य।

माननीय वित्त मंत्री, बिहार श्री बिजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में दिनांक 22 दिसम्बर 2022 को उद्योग से संबंधित विषयों पर राज्य के आगामी बजट 2023-24 के लिए सुझाव आमंत्रित करने हेतु एक बैठक पुराना सचिवालय स्थित सभागार में हुई। उक्त बैठक में माननीय उद्योग मंत्री, बिहार श्री समीर कुमार महासेठ, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग, डॉ. एस. सिद्धार्थ एवं प्रधान सचिव, उद्योग विभाग श्री संदीप पौंड्रिक भी उपस्थित थे।

उक्त बैठक में चैम्बर की ओर से श्री सुभाष कुमार पटवारी, संयोजक, इंडस्ट्री सब-कमिटी, श्री ए. के. पी. सिन्हा, संयोजक, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सब-कमिटी एवं श्री सुनील सराफ, अधिवक्ता, कार्यकारिणी सदस्य सम्मिलित हुए।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से बैठक में उद्योग से संबंधित विस्तृत ज्ञापन समर्पित किया गया।

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज दें : अग्रवाल

राज्य को एक सामान भाड़ा नीति और खनिज पर रॉयलटी, बार-बार बाढ़, सूबे का तीन बार विभाजन के बाद सही मुआवजा नहीं मिलने से काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा मूल्य और खरीद नीतियों से अधिशेष अनाज उत्पादन पर ध्यान नहीं देने एवं तकनीकी प्रबंधन कौशल विकास में उत्कृष्ट केन्द्रों के अभाव के कारण राज्य को नुकसान हुआ है। परिणाम स्वरूप निवेश को आकर्षित करने एवं दूसरे राज्यों से प्रतिस्पर्धा करने में बिहार सक्षम नहीं हो रहा है, इसलिए यह आवश्यक है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र की नीति के पैटर्न पर बिहार के लिए भी एक पॉलिसी पैकेज की घोषणा की जानी चाहिये, यह मांग बिहार चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को केन्द्रीय बजट 2023-2024 के लिए बजट पूर्व ज्ञापन भेजा है।

श्री अग्रवाल ने बताया कि उत्तर बिहार में तीव्र औद्योगिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है कि उत्तर बिहार को गैस पाइपलाइन से जोड़ा जाना चाहिये। इसके अलावा टीडीएस और टीसीएस का विलंब से भुगतान पर लगने वाले फाइन शुल्क के प्रावधान को व्यावहारिक बनाया जाना चाहिये। राज्य में एक आइआइएम की भी स्थापना करायी जानी चाहिये।

प्रमुख मांगें : • इंडस्ट्रीयल कोरिडोर में टाउनशिप के लिए बजट में वित्तीय सहायता की मंजूरी दी जानी चाहिये • उत्तर बिहार को गैस पाइपलाइन से जोड़ा जाना चाहिये • राज्य में लगने वाले उद्योगों को कम से कम पाँच साल के लिए सब्सिडी की सुविधा प्रदान की जानी चाहिये। (साभार : प्रभात खबर, 14.12.22)

बकाया टैक्स के समायोजन पर 21 दिन में करना होगा फैसला

आयकर विभाग के अफसरों के लिए नये निर्देश जारी

आयकर विभाग ने बकाया कर के मुकाबले रिफंड को समायोजित करने के बारे में करदाताओं को राहत दी है। कर अधिकारियों को इस तरह के मामलों में अब 21 दिन में निर्णय करना होगा। इस फैसले से मुकदमेबाजी में कमी होगी।

आयकर निदेशालय (प्रणाली) ने कहा कि मूल्यांकन अधिकारियों को फैसला करने के लिए दी गई 30 दिन की समय सीमा को घटाकर 21 दिन कर दिया गया है।

एक बयान के मुताबिक, 'यदि करदाता समायोजन के लिए सहमत नही है या आंशिक रूप से सहमत है तो मामले को केन्द्रीकृत प्रसंस्करण केन्द्र (सीपीसी) द्वारा तुरंत मूल्यांकन अधिकारी को भेजा जाएगा, जो 21 दिन के भीतर सीपीसी को अपनी राय देंगे कि समायोजन किया जा सकता है या नहीं।'

(विस्तृत : राष्ट्रीय सहारा, 5.12.2022)

स्मार्ट सिटी की चार योजनाओं को मिली मंजूरी

पटना स्मार्ट सिटी की चार योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। अब इन योजनाओं को पूरा करने के लिए नई एजेंसी का चयन होगा। जिसके लिए बुडको टेंडर निकालेगा। जिन योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है, उसमें सपेंटाइन नाले पर सड़क निर्माण, मौर्यालोक परिसर में मल्टीलेवल कार पार्किंग, एबीडी क्षेत्र में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज और बांस घाट पर शवदागृह शामिल हैं।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 12.12.2022)

राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SIPB) एवं बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट के न्यासी पर्षद की बैठक में चैम्बर शामिल हुआ

बैठक की अध्यक्षता करते श्री विवेक कुमार सिंह, विकास आयुक्त। बाँयी ओर उपस्थित श्री पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष, श्री मुकेश कुमार जैन, उपाध्यक्ष एवं श्री आशीष शंकर, कार्यकारिणी सदस्य

श्री विवेक कुमार सिंह, भा०प्र०से०, विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SIPB) एवं बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट के न्यासी पर्षद की बैठक दिनांक 23 दिसम्बर 2022 को उनके कार्यालय कक्ष में हुई।

इस बैठक में चैम्बर की ओर से श्री पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष, श्री मुकेश कुमार जैन, उपाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री आशीष शंकर ने भाग लिया।

नवम्बर माह में जीएसटी संग्रह 11 फीसदी बढ़ा

देश में जीएसटी राजस्व नवम्बर महीने में सालाना आधार पर 11 प्रतिशत बढ़कर करीब 1.46 लाख करोड़ रुपये रहा। दिनांक 1.12.2022 को वित्त मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक मुख्य रूप से उपभोक्ता खर्च बढ़ने और बेहतर अनुपालन से जीएसटी राजस्व बढ़ा है। यह लगातार नौवां महीना है जब माल एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व 1.40 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। हालांकि नवम्बर में जीएसटी संग्रह अगस्त के बाद से सबसे कम रहा है। इससे पहले, अक्टूबर में जीएसटी संग्रह त्योहारों में खर्च बढ़ने से 1.52 लाख करोड़ रुपये रहा जो दूसरा सर्वाधिक मासिक राजस्व है।

वित्त मंत्रालय के अनुसार सकल जीएसटी राजस्व संग्रह नवम्बर महीने में 1,45,867 करोड़ रुपये रहा। इसमें केन्द्रीय जीएसटी 25, 681 करोड़ रुपये, राज्य जीएसटी 32,651 करोड़ रुपये, एकीकृत जीएसटी 77,103 करोड़ रुपये (आयातित वस्तुओं पर प्राप्त 38,635) करोड़ रुपये समेत) और उपकर 10,433 करोड़ रुपये रहा। (विस्तृत : हिन्दुस्तान, 2.12.2022)

भारतीय स्टेट बैंक ने कर्ज महँगा किया

स्टेट बैंक ने कोष की सीमांत लागत आधारित कर्ज की दर (एमसीएलआर) में 0.25 फीसदी का इजाफा किया है। इससे आवास और कार समेत सभी तरह के कर्ज महंगे हो जाएंगे। नई ब्याज दरें 15 दिसम्बर 2022 से प्रभावी हो गई हैं। एक और तीन महीने के एमसीएलआर 7.75% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया है। (साभार : हिन्दुस्तान, 15.12.2022)

कारोबारियों को नहीं मिलेगा प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट

बिहार में अब कारोबारियों को प्रोविजनल रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं आइटीसी की राशि छुपाने वाले कारोबारियों से 24 प्रतिशत की दर से ब्याज भी वसूला जाएगा। आइटीसी का लाभ प्राप्त करने और इसके कुछ शर्तों को विस्तारित और कुछ में संशोधन किया गया है। इससे संबंधित बिहार माल और सेवा कर अधिनियम-2017 संशोधन विधेयक-2022 दिनांक 14.12.2022 को बिहार विधानसभा में ध्वनिमत से पास हो गया। सदन में पेश विधेयक पर राज्य सरकार का पक्ष रखते वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि माल और सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम के तहत कारोबारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का लाभ मिलता है, लेकिन आइटीसी चोरी केन्द्र तथा राज्य सरकार के लिए बड़ी समस्या बन गई है। आइटीसी चोरी रोकने और ऐसा करने वाले कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। इसके लिए जीएसटी कानून में संशोधन किया गया है।

सीजीएसटी और एसजीएसटी अधिनियम एक दूसरे का प्रतिबिंब : बिहार माल और सेवा कर अधिनियम-2017 संशोधन विधेयक-2022 में पिछले दिनों केन्द्र सरकार द्वारा किए गए संशोधन का अनुमोदन बिहार विधानमंडल से लिया जाएगा। इस विधेयक में कई पुरानी धाराओं के स्थान पर नई धाराओं को प्रतिस्थापित किया गया है, वहीं कई धाराओं का लोप भी किया गया है।

आइटीसी की राशि कारोबारियों के इलेक्ट्रानिक खाते में होगी जमा : संशोधित विधेयक के तहत सरकार ने इनपुट टैक्स क्रेडिट चोरी पर लगाम लगाने हेतु आइटीसी राशि कारोबारियों के इलेक्ट्रानिक खाते में जमा करने का प्रविधान किया है। यह कारोबारियों की सहूलियत के लिए किया गया है।

(साभार : दैनिक जागरण, 15.12.2022)

बैंकों ने 10 लाख करोड़ रुपये बट्टे खाते में डाले

• 6.59 लाख करोड़ रुपये वसूले बैंकों ने कर्जदारों से • 1.32 लाख करोड़ रुपये की वसूली बट्टे खाते से

बैंकों ने पिछले पाँच वित्त वर्षों के दौरान 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक के फंसे कर्ज (एनपीए) बट्टे खाते में डाले हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद को यह जानकारी दी।

वित्तमंत्री ने राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में कहा कि गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए) या फंसे कर्ज को बट्टे खाते में डालते हुए उसे संबंधित बैंक के बही खाते से हटा दिया गया है। इसमें वे फंसे हुए कर्ज भी शामिल हैं जिसके एवज में चार साल पूरे होने पर पूर्ण प्रावधान किया गया है।

सीतारमण ने कहा, आरबीआई के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने पिछले पाँच वित्त वर्षों के दौरान 10,09,511 करोड़ रुपये की राशि को बट्टे खाते में डाला है। बैंक उपलब्ध विभिन्न उपायों के माध्यम से बट्टे खाते में डाले गए राशि को वसूलने के लिए कार्रवाई जारी रखते हैं।

ऐसा क्यों करते हैं बैंक : बैंक आरबीआई के दिशानिर्देशों तथा अपने निदेशक मंडल की मंजूरी वाली नीति के अनुसार पूंजी को अनुकूलतम स्तर पर लाने के लिए अपने बही-खाते को दुरूस्त करने, कर लाभ प्राप्त करने और पूंजी के अनुकूलतम स्तर प्राप्त करने को लेकर नियमित तौर पर एनपीए को बट्टे खाते में डालते हैं। (विस्तृत : हिन्दुस्तान, 14.12.2022)

चैम्बर की सहभागिता में रोटरी क्लब ऑफ पाटलिपुत्रा की ओर से अंतरविद्यालय क्विज प्रतियोगिता चैम्बर में आयोजित

चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन को अंगवस्त्रम एवं पौधा से सम्मानित करते रो. राजेश शर्मा।

चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी को अंगवस्त्रम से सम्मानित करती रोटरायनी उमा सराफ। साथ में रो. संदीप सराफ।

कार्यक्रम को संबोधित करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन

रोटरी क्लब ऑफ पाटलीपुत्रा, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पदाधिकारीगण।

प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों के साथ ग्रुप फोटोग्राफ

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की सहभागिता में रोटरी क्लब ऑफ पाटलिपुत्रा, पटना की ओर से दिनांक 15 दिसम्बर, 2022 को सेवस राष्ट्रीय इको अचीवर्स क्विज प्रतियोगिता का आयोजन बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के साहू जैन हॉल में किया गया। इस आयोजन में रोटरी क्लब ऑफ पाटलीपुत्रा, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग की सहभागिता रही।

क्विज प्रतियोगिता में प्रतिष्ठित विद्यालयों यथा– लिटरा वैली स्कूल, लीड्स एशियन, लीड्स इन्टरनेशनल, इन्टरनेशनल स्कूल सीवीएससी, इन्टरनेशनल स्कूल आईसीएससी, विशप सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल, डीएवी खगोल, आर्मी पब्लिक स्कूल एवं डॉन बास्को एकेडमी ने भाग लिया।

रोटरी क्लब ऑफ पाटलिपुत्रा के अध्यक्ष श्री अनिल रिटोलिया ने कहा कि बच्चों के अन्दर छिपी प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से रोटरी क्लब ऐसे आयोजन करता रहा है। प्रतियोगिता का संचालन इंटरनेशनल क्विज मास्टर राजीव सान्याल ने किया। इस अवसर पर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं रोटरी पाटलीपुत्रा के पूर्व अध्यक्ष रो. सुबोध कुमार जैन उपस्थित थे।

चैम्बर द्वारा जयप्रभा मेदांता के सहयोग से मधुमेह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

मेदान्ता के डॉ. अंशुमन कुमार को अंगवस्त्रम से सम्मानित करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन

मधुमेह के बारे में जानकारी प्राप्त करते चैम्बर के पदाधिकारीगण, सदस्यगण एवं कर्मचारीगण

डॉक्टर अंशुमन कुमार के साथ चैम्बर के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का ग्रुप फोटोग्राफ

बिहार चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा दिनांक 30.11.2022 को जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल के सहयोग से मधुमेह और हार्मोन डिस्आर्डर संबंधी रोग एवं इससे बचाव की जानकारी दी गयी।

चैम्बर के उपाध्यक्ष एन. के. ठाकुर एवं मुकेश कुमार जैन ने कहा कि इस जागरूकता कार्यक्रम में सभी सदस्यों के साथ कर्मचारी भी शामिल हुए। मेदान्ता के डॉक्टर अंशुमन कुमार ने कहा कि जिन लोगों को मधुमेह है, वे डायटिंग, एक्सरसाइज और मेडिसिन का ध्यान रखें।

कार्यक्रम में चैम्बर के कोषाध्यक्ष विशाल टेकरीवाल, सुभाष पटवारी, पशुपति नाथ पांडेय, सांवल राम डोलिया, राकेश कुमार, आशीष शंकर, सच्चिदानन्द, अजय गुप्ता, राजेश कुमार माखरिया, आशीष प्रसाद सहित कई सदस्य मौजूद थे।

(साभार : दैनिक जागरण, 1.12.2022)

प्रत्यक्ष कर संग्रह में 24 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज

• 8.77 लाख करोड़ रुपये पर पहुँचा शुद्ध संग्रह • 61.7 फीसदी है पूरे वर्ष के बजट अनुमान का • 67 फीसदी ज्यादा रिफंड जारी किए गए हैं बीते वर्ष की समान अवधि से

मौजूदा वित्त वर्ष में अप्रैल से नवम्बर के बीच शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 24 प्रतिशत बढ़कर 8.77 लाख करोड़ रुपये पर पहुँच गया है। आयकर विभाग ने यह जानकारी दी। यह कर संग्रह अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के पूरे वर्ष के बजट अनुमान का 61.79 फीसदी है।

वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए बताया कि शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 30 नवम्बर तक 8.77 लाख करोड़ रुपये रहा जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के शुद्ध संग्रह से 24.26 प्रतिशत अधिक है। बजट में अनुमान लगाया गया था कि चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह 14.20 लाख करोड़ रुपये रहेगा। यह 2021-22 के 14.10 लाख करोड़ रुपये के संग्रह से अधिक है।

कर संग्रह किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियों का संकेतक होता है। चालू वित्त वर्ष में एक अप्रैल से 30 नवम्बर के बीच 2.15 लाख करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए जो पिछले वर्ष की तुलना में 67 फीसदी अधिक है। वित्त मंत्रालय की तरफ से ये भी बताया गया है कि ई-वेरिफिकेशन से आयकर रिटर्न में तेजी आई है। 30 नवम्बर तक 96.5 फीसदी रिटर्न ई-वेरीफाइड रहे। वहीं वेरिफिकेशन की समय अवधि भी 120 से घटकर 30 दिन हो गई है। पूरे वित्तवर्ष के आकंड़ों के जरिए सरकार की तरफ से बताया गया है कि असेसमेंट वर्ष 2022-23 के दौरान एक दिन में 2.42 करोड़ आयकर रिटर्न प्रॉसेस किए गए हैं। वहीं रिटर्न की प्रॉसेसिंग का समय वित्तवर्ष 2021-22 में 26 दिनों से घटकर वित्तवर्ष 2022-23 में 16 पर पहुँच गया है। (साभार : हिन्दुस्तान, 13.12.2022)

बिहार विशेष न्यायालय, बिहार लोकायुक्त और बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2022 विस में पास

आईटीसी की राशि छिपाई तो 24% ब्याज देना होगा

बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 संशोधन विधेयक 2022 बुधवार दिनांक 14.12.2022 को विधानसभा में ध्वनिमत से पास हो गया। इसके तहत कारोबारियों को प्रोविजनल रुप से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ नहीं मिलेगा। जबकि, आईटीसी की राशि छुपाने वाले कारोबारियों को 24 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा। आईटीसी का लाभ प्राप्त करने और शर्तों के मुताबिक विस्तारित करने के लिए कुछ संशोधन किया गया है। सदन के अंदर वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा जीएसटी के तहत कारोबारियों को आईटीसी का लाभ मिलता है। लेकिन, आईटीसी चोरी अब केन्द्र और राज्य के लिए समस्या बन चुकी है। इसे रोकने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके तहत जीएसटी कानून में संशोधन किया जा रहा है। आईटीसी के चोरी को रोकने के लिए आईटीसी की राशि कारोबारियों के इलेक्ट्रानिक खाते में करने का प्रावधान किया गया है। कारोबारी इसका लाभ कर एडजस्ट करने में कर सकते हैं। इसके साथ ही बिहार विशेष न्यायालय और लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2022 बहुमत से पास हुआ। (साभार : दैनिक भास्कर, 15.12.2022)

चैम्बर के प्रतिनिधि डब्ल्यूईसीएस एमएसएमई-2022 के उद्घाटन में शामिल हुए

एक्सपो में श्री सुबोध कुमार जैन को अंगवस्त्रम एवं पौधे से सम्मानित करती एक्सपो की सचिव।

एक्सपो को संबोधित करते श्री सुबोध कुमार जैन (बाँयें से प्रथम)

गाँधी मैदान, पटना में आयोजित 4 दिवसीय डब्ल्यूईसीएस एमएसएमई एक्सपो-2022 दिनांक 2 दिसम्बर, 2022 को आरम्भ हुआ। इस एक्सपो के उद्घाटन में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के लाइब्रेरी एण्ड बुलेटिन सब कमिटी के संयोजक श्री सुबोध कुमार जैन शामिल हुए।

श्री सुबोध कुमार जैन को एक्सपो में पौधा एवं अंगवस्त्रम भेंटकर सम्मानित किया गया।

अपने सम्बोधन में श्री जैन ने कहा कि महिलाओं का उद्यम के क्षेत्र में आना औद्योगिक क्रांति का शुभ संकेत है। सरकार भी महिला उद्यमियों को हर तरह से सहयोग हेतु कृत संकल्पित है। महिलाओं को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए।

करदाताओं को तेज रिफंड, 74 प्रतिशत आईटीआर की प्रोसेसिंग 7 दिन में

वित्त मंत्रालय ने आयकर रिटर्न प्रॉसेस करने की रफ्तार बढ़ाई है। अभी करीब 74% आईटीआर की प्रोसेसिंग 7 दिन के भीतर हो रही है। दरअसल केन्द्र ने टैक्स कलेक्शन, प्रोसेसिंग, वेरिफिकेशन और रिफंड के तौर-तरीके बदल रही है। इस साल इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग स्पीड और रिफंड के आंकड़ों से उत्साहित सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेसिंग के ढांचे में नए फीचर जोड़ने का फैसला भी किया है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की सिफारिशों के मुताबिक प्रत्यक्ष कर का ढांचा और सरल बनाया जाएगा। इसके नए उपायों और आईटी आइडियोलॉजी का ऐलान बजट में किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, आयकर को ईमानदारी के बैरोमीटर के तौर पर देखा जाएगा और टैक्स 'लेने के बजाय लौटने' की नीति अपनाई जाएगी। पूरी आयकर व्यवस्था करदाताओं को पुरस्कृत करने की सोच पर आधारित होगी। (साभार : दैनिक भास्कर, 13.12.2022)

आरबीआइ ने लॉंच की ई-रुपी, ऐसे करें यूज

आरबीआइ ने देश की पहली डिजिटल करेंसी यानी ई-रुपी लॉंच कर दिया है। इससे शुरुआत में चार बैंक-स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आइसीआइसी बैंक, यश बैंक और आइडीएफसी बैंक के साथ शुरू किया गया है। पहले चरण में ई-रुपी को दिल्ली, मुम्बई, बेंगलुरु व भुवनेश्वर में शुरू किया गया है। ऐसे में जानें इसके इस्तेमाल करने के लिए तरीके और फायदे के बारे में।

सुरक्षित लेनदेन : यूपीआइ पेमेंट के लिए थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत होती है लेकिन ई-रुपी लेनदेन में थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होगी। इसका फायदा यह होगा कि अगर किसी गलत अकाउंट में पैसे भेज दिये हैं, तो आसानी से वापस मिल सकेंगे। मौजूदा वक्त में गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने या फिर कट जाने पर थर्ड पार्टी जैसे फोन पे और गूगल पे की जिम्मेदारी नहीं होती है।

ऑफलाइन मोड में भी कर सकेंगे लेन-देन : ई-रुपी में लेन-देन ऑफलाइन मोड में भी किया जा सकेगा। इसमें एसएमएस और क्यूआर कोड से काम हो जायेगा। ऐसे में बिना इंटरनेट वाले इलाकों में लेन-देन करना आसान हो जायेगा। वहीं यूपी आइ में पेमेंट करने की एक लिमिट होती है। यूजर्स एक दिन में 50, 000 या उससे ज्यादा का लेन-देन नहीं कर पाते हैं, जबकि ई-रुपी से अनलिमिटेड लेन-देन कर सकेंगे।

ई-रुपी का ऐसे करें इस्तेमाल : • अभी ई-रुपी का इस्तेमाल दिल्ली, मुम्बई, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में एसबीआइ, आइडीएफसी, आइसीआइसीआइ बैंक और यश बैंक के ग्राहक ही कर पायेंगे • इन बैंकों की तरफ से ई-रुपी ऐप के लिए फोन पर मैसेज या ई-मेल पर इनवाइट भेज जायेगा, फिर यूजर्स ई-रुपी ऐप डाउनलोड कर सकेंगे • इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको वेरिफिकेशन प्रक्रिया को पूरा करना होगा • इसके लिए आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नबर की जरूरत होगी • इस तरह आप ई-रुपी का डिजिटल वॉलेट बना सकेंगे। (साभार : प्रभात खबर, 12.12.2022)

एमएसएमई सेक्टर को लोन देने में बैंकों की आनाकानी

भारतीय रिजर्व बैंक ने एसएलबीसी को वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर फोकस करने के लिए निर्देश दिया

• 60% लोन बैंकों ने दिये गुजरात में • 12% ही लोन मिला बिहार में

भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव कहे जाने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) यानी छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसाय को ऋण देने में बैंक आनाकानी कर रहे हैं। इसमें भी सूक्ष्म श्रेणी को ऋण के मामले में बैंक का हाथ थोड़ा ज्यादा ही तंग रहता है, जबकि निजी सेक्टर में सर्वाधिक रोजगार और जीडीपी में योगदान एमएसएमइ देता है। राज्य सरकार भी नयी-नयी योजना बना कर भी इस सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, लेकिन बैंकों के अड़ियल रवैये के कारण छोटे उद्यमियों को लोन लेने में जूते घिस जाते हैं।

चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही के आंकड़ों पर गौर करें, तो स्थिति स्पष्ट हो जाती है। वहीं, स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली केन्द्रीय योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमइजीपी) के तहत भी बिहार में लोन देने में बैंक भेदभाव कर रहे हैं।

इसको देखते हुए राज्य सरकार ने अगली राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की बैठक एमएसएमई को केन्द्र में रखकर बुलाने के लिए एसएलबीसी कन्वेनर एसबीआई को पत्र लिखा है, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने एसएलबीसी को वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर फोकस करने के लिए निर्देश दिया था।

एमएसएमई का 2022-23 का आंकड़ा (करोड़ में)

सेक्टर	ऋण का लक्ष्य	ऋण बांटे गये
सूक्ष्म	28700	8751
लघु	11200	4406
मध्यम	2100	1333
		(आंकड़ा प्रथम तिमाही का)

चैम्बर अध्यक्ष ESIC आदर्श हॉस्पिटल के हॉस्पिटल डेवलपमेंट कमिटी की बैठक में शामिल हुए

बैठक में उपस्थित माननीय सांसद श्रीराम कृपाल यादव, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय निदेशक श्री सत्यजीत कुमार एवं अन्य।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, आदर्श हॉस्पिटल, फुलवारीशरीफ, पटना के हॉस्पिटल डेवलपमेंट कमिटी की 48वीं बैठक दिनांक 27 दिसम्बर, 2022 को मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई।

इस बैठक में माननीय सांसद श्री राम कृपाल यादव, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय निदेशक श्री सत्यजीत कुमार के साथ-साथ कमिटी के अन्य सदस्यों ने भाग लिया।

ऋण की स्वीकृति नहीं होने से सब्सिडी से वंचित रह जायेंगे पीएमइजीपी के आवेदक : पीएमइजीपी में राज्यवार सब्सिडी का आवंटन नहीं होता है। यह योजना पहले आओ, पहले पाओ के तर्ज पर चलती है। चालू वित्तीय वर्ष में इसके लिए 2600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अगर बैंक अधिक-से- अधिक आवेदन को स्वीकृत कर लोन नहीं देते हैं, तो सब्सिडी से राज्य के लोग वंचित रह जायेंगे। ऋण देने में बैंक राज्य-दर-राज्य भेदभाव करते हैं। भेदभाव किस स्तर का है इसका अंदाजा वर्ष 2022-23 में इस योजना के तहत बैंकों द्वारा दूसरे राज्यों में दिये गये लोन से बिहार में दिये गये लोन से लगाया जा सकता है। बैंकों ने गुजरात में जहाँ 60% लोन दिए, वहीं, बिहार में महज 12 फीसदी ही लोन मिला।

केन्द्र 10 लाख से लेकर 25 लाख तक लोन देती है : दरअसल, इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को अपना उद्योग और रोजगार शुरू करने के लिए केन्द्र सरकार 10 लाख से लेकर 25 लाख तक लोन देती है। लोन राशि पर 25 से 35 प्रतिशत अनुदान भी देती है। वर्ष 2021-22 में बैंक के पास 17509 आवेदन भेजे गये। बैंकों ने कुल 3006 को स्वीकृति दी और महज 2476 को ऋण दिये गये। (साभार : प्रभात खबर, 10.12.2022)

ऑनलाइन फार्मेसी में 30 से 40 प्रतिशत की छूट गैर-कानूनी, रोक का निर्देश

देश में बढ़ती ऑनलाइन फार्मेसी और इसकी ओर से दवाइयों पर दी जा रही 30 से 40% की छूट गैर-कानूनी है। यह ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स रूल्स का उल्लंघन है। इस बारे में नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ वी. के. पॉल और ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट्स (एआईओसीडी) के पदाधिकारियों की बैठक में इस तरह के गैर-कानूनी तरीकों पर रोक लगाने पर चर्चा हुई है। 100 से 200 किमी तक दवाइयों को पार्सल से भेजा जाता है। इससे दवाइयों की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है। नीति आयोग की ओर से एआईओसीडी से इस संबंध में और जानकारियाँ मांगी गई है।

(साभार : दैनिक भास्कर, 10.12.2022)

जीएसटीआर-9 सी फॉर्म को अब स्वयं प्रमाणित कर सकते हैं कारोबारी

इनपुट टैक्स क्रेडिट को अलग-अलग दिखाना अनिवार्य

पाँच करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटीआर-9 सी फॉर्म फाइल करना होता है। पहले इस फॉर्म को चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाणित कराना होता था, लेकिन अब कारोबारी स्वयं ही इसे प्रमाणित कर सकते हैं।

जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर- 9सी ऑडिट के नये बदलावों के संबंध में वरीय चार्टर्ड-अकाउंटेंट राजेश खेतान ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 का जीएसटीआर-9 वार्षिक रिटर्न 31 दिसम्बर तक फाइल करना है। ये अब उन्हीं करदाताओं को जमा करना है जिनका कुल टर्नओवर दो करोड़ रुपये से अधिक है। अब दो करोड़ से नीचे टर्नओवर वालों को इसे जमा नहीं करना है।

फॉर्म में यह आया है बदलाव : जीएसटीआर-9 के फॉर्म की टेबल फाइव-डी और फाइव-इ में पहले टैक्स फ्री सप्लाइ और निल रेट सप्लाइ को अलग-अलग दिखाना होता था, पर अब इन्हें एक साथ टोटल करके फाइव डी टेबल में दिखाया जा सकता है। फाइव एफ टेबल में नॉन जीएसटी सप्लाइ जिन पर नहीं लगता, इस टेबल को दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है।

खेतान ने बताया कि टेबल 6 सी में गैर निबंधित डीलर से माल खरीदने पर, जो जीएसटी का पेमेंट रिवर्स चार्ज किया जाता है, उससे संबंधित आइटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) को अलग-अलग दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। टेबल 17 में सेल की एचएसएन कोड जिनका टर्नओवर पाँच करोड़ से अधिक है उनके लिए छह अंक का एचएसएन कोड डालना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन कारोबारियों का टर्नओवर पाँच करोड़ रुपये तक है उन्हें चार अंक का एचएसएन कोड डालना होगा। (विस्तृत : प्रभात खबर, 10.12.2022)

बैंकों की मांग, टैक्स फ्री हो 5 लाख रुपये तक की एफडी

बैंक चाहते हैं कि 5 लाख रुपए तक की एफडी स्कीम्स में निवेश टैक्स-फ्री कर दिया जाए। ऐसा होने पर एफडी के रिटर्न स्मॉल सेविंग म्यूचुअल फंड और बीमा प्रोडक्ट्स के रिटर्न के समान आकर्षक हो जाएँगे।

सूत्रों के मुताबिक इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) ने इस संबंध में बजट सत्र से पहले वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। आईबीए ने पत्र में कहा है कि एफडी की ग्रोथ सुस्त पड़ गई है। आकर्षक दरों के बावजूद बैंक एफडी, म्यूचुअल फंड और बीमा योजनाओं के मुकाबले कम रिटर्न दे रहे हैं। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स निवेशकों को हाई टैक्स-फ्री रिटर्न की पेशकश करते हैं।

आईबीए ने मंत्रालय को छोटे मूल्य के डिपॉजिट को अधिक आकर्षक बनाने के तरीके अपनाने को कहा है। बैंक एफडी भले देश में निवेश के सबसे लोकप्रिय साधनों में शुमार हैं, लेकिन इनका रिटर्न टैक्सेबल है। इसलिए एफडी से टैक्स बाद कमाई कम रह जाती है। एफडी पर ब्याज 'अन्य स्रोतों से आय' मानी जाती है। इसलिए एफडी का रिटर्न निवेशक के स्लैब के अनुसार टैक्सेबल है। यदि एफडी की ब्याज दर 6% है तो 30% टैक्स स्लैब वाले निवेशक के लिए

कोशी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रथम वार्षिक आम सभा सम्पन्न

कोशी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रथम वार्षिक आम सभा दिनांक 27 दिसम्बर, 2022 को स्थानीय मंगलम मैरेज रिसॉर्ट में भव्यता के साथ सम्पन्न हुई। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से मेमेन्टों दिया गया।

बिहार चैम्बर के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने कोशी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएँ दी और आशा व्यक्त की कि कोशी चैम्बर ऑफ कॉमर्स गत वर्ष के अधूरे कार्यों को इस वर्ष पूरा करेगा और अपने क्षेत्र के व्यवसायी बन्धुओं के हित में कार्य करता रहेगा।

ये टैक्स के बाद 4.2% रह जाएगी। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति (सीनियर सिटीजन को छोड़कर) एफडी पर 40,000 रुपए से ज्यादा ब्याज कमाता है तो एफडी मैच्योर होने और ब्याज जमा करते समय बैंक 10% टीडीएस काटते हैं।

डेट फंड्स के रिटर्न पर भी टैक्स, पर महँगाई का लाभ : डेट फंड का रिटर्न भी टैक्सेबल है, लेकिन इसका निर्धारण निवेश की अवधि के आधार पर होता है। यदि डेट फंड 3 साल से कम होल्ड करते हैं तो लाभ पर उसी दर से टैक्स लगेगा, जो एफडी पर मिले ब्याज पर लगता है। लेकिन 3 साल से ज्यादा समय तक होल्ड करने पर डेट फंड के लाभ पर 20% टैक्स लगता है। साथ ही, ज्यादातर डेट फंड्स में इंडेक्सेशन का लाभ मिलता है, जिसका अर्थ है कि टैक्स भुगतान महँगाई को एडजस्ट करने के बाद किया जाएगा।

(साभार : दैनिक भास्कर, 7.12.2022)

कार-दोपहिया का लंबी अवधि वाला बीमा होगा

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने वाहनों के लिए लंबी अवधि वाली बीमा पॉलिसी देने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत दोपहिया वाहनों के लिए पाँच वर्ष और कारों के लिए तीन वर्ष का वाहन बीमा जारी किया जाएगा।

इसका उद्देश्य देश में बीमा के प्रसार को बढ़ाना और ग्राहकों को व्यापक विकल्प प्रदान करना है। इरडा ने इस प्रस्ताव का मसौदा जारी कर दिया है। इसमें ग्राहकों को हर साल वाहन बीमा के नवीनीकरण से राहत देने की बात कही गई है। इसके लिए 'दीर्घकालिक मोटर उत्पाद' पॉलिसी लाई जाएगी, जिसके तहत' थर्ड पार्टी वाहन बीमा और स्वयं को हुई क्षति बीमा' लंबी अवधि के लिए जारी किए जाएँगे। इस संबंध में इरडा ने सभी पक्षों से राय मांगी है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 9.12.22)

Considering PAN for Single Window Clearance : Goyal

Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said that the government is considering to allow businesses to use Permanent Account Number (PAN) as a unique identifier to enter into the National Single Window System (NSWS) for various clearances and approvals of central and state departments.

Goyal said that his ministry has already approached the department of revenue for this. **(Detail : E. T. (New Delhi), 6.12.2022)**

जीएसटी संग्रहण में पूरे देश में टॉप पर रहा बिहार

• पिछले साल की तुलना में 28 प्रतिशत की वृद्धि • नवम्बर का आंकड़ा जारी, गति जारी रखे विभाग : चौधरी

नवम्बर के जीएसटी संग्रहण में बिहार पूरे देश में टॉप पर रहा। 2021 के नवम्बर की तुलना में इस मद की संग्रहण राशि में 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई दी है।

चौधरी ने बताया कि भारत सरकार ने जीएसटी संग्रहण संबंधित आंकड़ा जारी किया है। इससे स्पष्ट है कि नवम्बर महीने में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 28 प्रतिशत की वृद्धि बिहार में दर्ज की गई है। यह पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ है। यह वृद्धि उत्तर प्रदेश (9 प्रतिशत), महाराष्ट्र (16 प्रतिशत), कर्नाटक (13 प्रतिशत) और तमिलनाडु (10 प्रतिशत) से काफी अधिक है। उल्लेखनीय है कि पिछले महीने बिहार में जीएसटी, वैट एवं अन्य करों के मद में 21 हजार 883 करोड़ रुपये की उगाही हुई है।

मंत्री ने इस उपलब्धि के लिए वाणिज्य कर विभाग के पदाधिकारियों के प्रयासों की सराहना की है। करदाताओं को भी सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 6.12.22)

Banks Have ceded UPI space to Non Banking Sector : RBI Dy Guv

Banks had failed to scale UPI during the early days and have now missed the bus : Rabi Shankar

Banks have ceded the unified payments interface space to non-banks, Reserve Bank of India deputy governor T Rabi Shankar has said. Sankar also said the RBI was considering more use cases for the expansion of the central bank digital currency (CBDC), like in the money market.

"UPI is a good example to understand how alert banks ought to be," Shankar said, speaking at an industry conference organised by the Indian Banks Association on Saturday. "How's it that a system of transactions between two bank accounts has evolved in a way where most of the business is owned by non-banks." **(Detail : E. T. (New Delhi), 5.12.2022)**

उद्योग मंत्री ने किया एमएसएमई एक्सपो का उद्घाटन

महिला उद्यमियों को विशेष सुविधाएँ मिलेंगी : मंत्री

गाँधी मैदान में आयोजित एमएसएमई एक्सपो 2022 का उद्घाटन बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने दिनांक 2.12.2022 को किया। उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कहा कि बिहार सरकार महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत 4000 से अधिक महिलाओं को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देकर उनका उद्योग लगवाया गया है। जीविका से जुड़ी महिलाओं को टेक्सटाइल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सहायता प्रदान की गई है। जीविका की बहनों ने

गारमेंट की फैक्ट्रियाँ लगाई हैं। 1 दिसम्बर 2022 से पुन: मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किया गया है। कहा कि बिहार स्टार्ट अप नीति में भी महिला उद्यमियों का विशेष ख्याल रखा गया है। स्टार्ट अप नीति के तहत महिलाओं की सीड फंडिंग 5% अधिक रखी गई है। पुरुषों के मामले में 10 लाख तक की सीड फंडिंग है तो महिलाओं के मामले में 10 लाख 50 हजार तक की सीड फंडिंग की सीमा है।

फंडिंग के लिए महिलाओं को प्राथमिकता : स्टार्टअप नीति के तहत फंडिंग के लिए जिन लोगों का चयन हुआ है उस में महिलाओं की संख्या लगभग आधी है। बिहार राज्य खादी मॉल और हैंडलूम हाट तथा बिहार एंपोरियम में भी महिला उद्यमियों को काफी प्राथमिकता दी जाती है। एक्सपो का आयोजन डब्ल्यूइसीएस द्वारा किया गया। संस्था की अध्यक्ष कल्पना कुमारी ने एक्सपो में उद्योग मंत्री का स्वागत किया। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 3.12.2022)**

Makhana growers bleed as Bihar hails 'exotic nut'

Makhana (fox nut) growers in north Bihar's Mithila region are reeling under losses from an unexpected price crash this year, even as the state agriculture department organised, for the first time, Makhana Mahotsav on November 29-30 "to promote and popularize the production and consumption of the exotic nut from the pious land of Mithila". **(Detail : H.T., 5.12.22)**

मेडिकल कचरा निस्तारण को सात शहरों में लगेंगे 8 प्लांट

अस्पतालों से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट के समुचित उपचार के लिए राज्य के चार और शहरों में कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी इकाई लगाई जाएगी। जबकि पहले से चार शहरों में चल रहे ट्रीटमेंट प्लांट को आगे के वर्षों में चलाने के लिए नए सिरे से निविदा की जाएगी।

ट्रीटमेंट प्लांट बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की ओर से लगाए जाएँगे। इस तरह पटना में दो समेत सात शहरों में कुल आठ प्लांट हो जाएँगे। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई विशेष बैठक में इस पर सहमति बनी।

जानकारी के अनुसार राज्य में अभी पटना के आईजीआईएमएस, मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर में कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट काम कर रहा है। लेकिन, इन प्लांटों की मियाद खत्म हो गई है। साथ ही, राज्य में जिस रफ्तार से बायोमेडिकल वेस्ट निकल रहा है, उसके लिए चार प्लांट नाकाफी हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की ओर से जारी आदेशानुसार राज्य में निकल रहे बायोमेडिकल वेस्ट के प्रबंधन के लिए कुछ और प्लांट की आवश्यकता है। इसी के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग और प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की बैठक हुई।

बोर्ड ने मधुबनी, पूर्णिया और गोपालगंज में एक-एक प्लांट लगाने पर सहमति जताई। इसके अलावा पटना में भी एक और ट्रीटमेंट प्लांट लगाएँ जाएँगे। इस तरह पटना में दो और बाकी पाँच शहरों में एक-एक बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट हो जाएँगे। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 8.12.2022)**

नौ जिले में 24 लाख वर्गफीट में शेड तैयार

लेदर व रेडिमेट गारमेंट सेक्टर में उद्यमियों को आधारभूत संरचना उपलब्ध कराए जाने को केन्द्र में रख उद्योग महकमे ने 24 लाख वर्गफीट में प्लग एण्ड प्ले शेड को तैयार कर लिया है। यह शेड इन दोनों सेक्टर के उद्यमियों को किराए पर उपलब्ध कराए जाएँगे। इसके मूल में यह है कि इन दोनों सेक्टर में काम करने वाले उद्यमियों को अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए कोई परिसर विकसित करने की जरूरत नहीं पड़े। उन्हें बना-बनाया परिसर मिलेगा। बस अपनी मशीन लगाएँ और काम शुरू कर दें।

प्रदेश में इन जगहों पर विकसित हुए हैं प्लग एवं प्ले के शेड : पटना में चार जगहों पर प्लग एंड प्ले योजना के तहत शेड विकसित किए गए हैं। सिकंदरपुर में 4.5 लाख हेक्टेयर में, फतुहा में 1.12 लाख हेक्टेयर, पाटलिपुत्र औद्योगिक परिसर में 0.7 लाख हेक्टेयर व बिहटा में 0.5 हेक्टेयर में तैयार किया गया है। मुजफ्फरपुर में 4.2 लाख हेक्टेयर, बेगूसराय में तीन लाख, पश्चिम चंपारण के कुमारबाग में दो लाख, पूर्णिया के मरंगा में दो लाख, वैशाली के गोरौल मे ढाई लाख, हाजीपुर में 1.4 लाख, भागलपुर में 1.2 लाख तथा बिहारशरीफ के नालंदा में 0.3 लाख हेक्टेयर में प्लग एण्ड प्ले शेड विकसित किए गए हैं।

चार से छह रुपये वर्गफीट की दर से किराए पर मिलेगा : उद्योग विभाग से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्लग एण्ड प्ले शेड चार से साढ़े छह रुपये वर्गफीट के मासिक किराए पर उद्यमियों को उपलब्ध होगा। इसके लिए उन्हें बियाडा की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। उद्योग विभाग ने यह तय किया है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जिनका चयन किया है उनमें से एक हजार लोगों को यह शेड प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा।

(साभार : दैनिक जागरण, 9.12.2022)

उद्योग विभाग की रैंकिंग में पटना को दूसरा स्थान

उद्योग विभाग ने कार्य निष्पादन और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग को सुदृढ़ करते हुए जिलावार रैंकिंग जारी की है। नवम्बर 2022 के कार्य निष्पादन के आधार पर सीवान जिले को पहला स्थान मिला है। उसे 100 में 73.5 अंक मिले हैं। उसके बाद 68 अंकों के साथ पटना दूसरे और 64 अंकों के साथ मुंगेर तीसरे स्थान पर है। शेखपुरा, सहरसा, किशनगंज, बक्सर, बेगूसराय, नालंदा और कैमूर जिलों को भी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए टॉप 10 जिलों में रखा गया है। उद्योग विभाग के अनुसार जिला उद्योग केन्द्र कटिहार सबसे फिसड्डी साबित हुआ है। उसको सबसे कम 26 अंक प्राप्त हुए हैं।

(साभार : हिन्दुस्तान, 14.12.2022)

बियाडा बोर्ड का निर्णय : 89 करोड़ से अधिक के निवेश की मंजूरी

एमवीआर का अधिकतम 25 फीसदी शुल्क देकर जमीन का हस्तांतरण

बियाडा में पहले से आवंटित जमीन को किसी दूसरे निवेशक को हस्तांतरित करने के संदर्भ में बियाडा बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बियाडा बोर्ड ने बियाडा में भूमि या औद्योगिक प्लॉट के हस्तांतरण में महत्वपूर्ण रियायत दी है। निर्णय लिया है कि बियाडा क्षेत्र में आवंटित भूमि किसी अन्य को हस्तांतरित करनी हो तो उसे केवल कुल निबंधन दर (एमवीआर) का 10 से 25 फीसदी तक भुगतान शुल्क देना होगा।

दरअसल यह शुल्क इस बात पर निर्भर करेगा कि संबंधित इकाई कितने सालों से काम कर रही है। यह जानकारी उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर दी है। औद्योगिक भूमि हस्तांतरण का यह वन टाइम विकल्प होगा। भूमि हस्तांतरण का यह वन टाइम विकल्प 31 जनवरी 2023 तक के लिए होगा। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक ने बताया कि बियाडा की परियोजना मंजूरी समिति (पीसीसी) ने दिनांक 13.12.2022 को 89.03 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश को मंजूरी दी है। साथ ही साथ विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, पेट्रोलियम उत्पाद, इलेक्ट्रिक वाहन और अन्य क्षेत्रों में 16 औद्योगिक क्षेत्रों में 25 इकाइयों के लिए भूमि आवंटित की है। विभागीय प्रधान सचिव पौंड्रिक ने पीएमइजीपी और पीएमएफएमइ की समीक्षा के लिए राज्य के प्रमुख बैंकों के डीजीएम के साथ समीक्षा बैठक की।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 14.12.2022)

सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर लगेगा जुर्माना

राज्य के शहरी क्षेत्रों में सिंगल यूज (एक बार उपयोग होने वाला) प्लास्टिक और थर्मोकोल से बने वस्तुओं के उपयोग, भंडारण, उत्पादन, बिक्री, वितरण, आयात आदि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) मॉडल उपविधि, 2022 की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है।

इसमें पूर्व के प्रावधान को और विस्तार दिया गया है। प्लास्टिक के घरेलू उपयोगकर्ता पर पहली बार 100 दूसरी बार 200 तथा इसके बाद बार-बार

दोहराने पर 500-500 का जुर्माना लगेगा। इनके वाणिज्यिक उपयोगकर्ता पर क्रमशः 1500, 2500 और 3500 जुर्माना लगेगा। सार्वजनिक स्थलों पर प्लास्टिक अपशिष्ट को जलाने पर पहली बार 2000, दूसरी बार 3000 और आगे से हर बार 5000 का जुर्माना लगेगा। सार्वजनिक स्थानों पर यथा पार्क, नाला, पुरातात्विक स्थलों तथा अन्य प्रतिबंधित स्थलों पर प्लास्टिक अपशिष्ट को फैलाने पर पहली बार 1000, दूसरी बार 2000 और आगे से हर बार 3000 का जुर्माना लगेगा।

शहरी निकाय को बिना सूचना खेल आदि के आयोजन, जिसमें सौ से अधिक व्यक्ति जमा होंगे और वहाँ उक्त वस्तुओं का उपयोग होगा तो हर आयोजक पर 1500 से 2500 का जुर्माना लगेगा। प्लास्टिक कैरी बैग, कप, गिलास, कांटा, चम्मच, स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, आइसक्रीम स्टीक, कान साफ करने की स्टिक, मिठाई के बक्से, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट पर लपेटना, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर आदि पर प्रतिबंध है। (साभार : हिन्दुस्तान, 13.12.2022)

माननीया वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जी. एस. टी. काउंसिल की दिनांक 17 दिसम्बर 2022 को संपन्न 48वीं बैठक के प्रस्ताव माननीय सदस्यों की सूचनार्थ उद्धृत है :-

Ministry of Finance

Union Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman chairs 48th Meeting of the GST Council via virtual mode in New Delhi

GST Council recommends to decriminalise certain offences u/s 132, increase in threshold of amount of tax for prosecution and reduction in amount of compounding in GST

Posted On: 17 DEC 2022 3:28PM by PIB Delhi

The 48th GST Council met under the Chairmanship of Union Minister for Finance & Corporate Affairs Smt. Nirmala Sitharaman via virtual mode in New Delhi today. The meeting was also attended by Union Minister of State for Finance Shri Pankaj Choudhary besides Finance Ministers of States & UTs (with legislature) and senior officers of the Ministry of Finance & States/UTs.

The GST Council has *inter-alia* made the following recommendations relating to changes in GST tax rates, measures for facilitation of trade and measures for streamlining compliances in GST:

Tax rates:

Sr. No.	Description	From	To
Goods :			
1.	Husk of pulses including chilka and concentrates including chuni/churi, khanda	5%	Nil
2.	Ethyl alcohol supplied to refineries for blending with motor spirit (petrol)	18%	5%

2. It was also decided to include supply of Mentha arvensis under reverse charge mechanism as has been done for Mentha Oil.
3. It was decided to clarify that:
   - Rab *(rab-salawat)* is classifiable under CTH 1702 which attracts GST at the rate of 18%.
   - fryums manufactured using the process of extrusion is specifically covered under CTH 19059030 and attract GST at the rate of 18%.
   - The higher rate of compensation cess of 22% is applicable to motor vehicle fulfilling all four conditions, namely, it is popularly known as SUV, has engine capacity exceeding 1500 cc, length exceeding 4000 mm and a ground clearance of 170 mm or above
   - goods falling in lower rate category of 5% under schedule I of notification No. 1/2017-CTR imported for petroleum operations will attract lower rate of 5% and the rate of 12% shall be applicable only if the general rate is more than 12%
4. As a relief measure, the Council decided to regularise the intervening period starting from the date of issuance of Circular (3.08.2022) in respect of GST on 'husk of pulses including chilka and concentrates including chuni/churi, khanda' on *"as is basis"* on account of genuine doubts.
5. No GST is payable where the residential dwelling is rented to a registered person if it is rented it in his/her personal capacity for use as his/her own residence and on his own account and not on account of his business.
6. Incentive paid to banks by Central Government under the scheme for promotion of RuPay Debit Cards and low value BHIM-UPI transactions are in the nature of subsidy and thus not taxable.

Measures for facilitation of trade

1. **Decriminalization under GST** : The Council has recommended to -
   - raise the minimum threshold of tax amount for launching prosecution under GST from Rs. One Crore to Rs. Two Crores, except for the offence of issuance of invoices without supply of goods or services or both;
   - reduce the compounding amount from the present range of 50% to 150% of tax amount to the range of 25% to 100%;
   - decriminalize certain offences specified under clause (g), (j) and (k) of sub-section (1) of section 132 of CGST Act, 2017, viz.- obstruction or preventing any officer in discharge of his duties; deliberate tempering of material evidence; failure to supply the information.
2. **Refund to unregistered persons** : There is no procedure for claim of refund of tax borne by the unregistered buyers in cases where the contract/ agreement for supply of services, like construction of flat/house and long-term insurance policy, is cancelled and the time period of issuance of credit note by the concerned supplier is over. The Council recommended amendment in CGST Rules, 2017, along with issuance of a circular, to prescribe the procedure for filing application of refund by the unregistered buyers in such cases.
3. **Facilitate e-commerce for micro enterprises** : GST Council in its 47th meeting had granted inprinciple approval for allowing unregistered suppliers and composition taxpayers to make intra-state supply of goods through E-Commerce Operators (ECOs), subject to certain conditions. The Council approved the amendments in the GST Act and GST Rules, along with issuance of relevant notifications, to enable the same. Further, considering the time required for development of the requisite functionality on the portal as well as for providing sufficient time for preparedness by the ECOs, Council has recommended that the scheme may be implemented w.e.f. 01.10.2023.
4. Paras 7, 8(a) and 8(b) were inserted in Schedule III of CGST Act, 2017 with effect from 01.02.2019 to keep certain transactions/ activities, such as supplies of goods from a place outside the taxable territory to another place outside the taxable territory, high sea sales and supply of warehoused goods before their home clearance, outside the purview of GST. In order to remove the doubts and ambiguities regarding taxability of such transactions/ activities during the period 01.07.2017 to 31.01.2019, the Council has recommended to make the said paras effective from 01.07.2017. However, no refund of tax paid shall be available in cases where any tax has already been paid in respect of such transactions/activities during the period 01.07.2017 to 31.01.2019.
5. The Council has recommended to amend sub-rule (1) of rule 37 of CGST Rules, 2017 retrospectively with effect from 01.10.2022 to provide for reversal of input tax credit, in

terms of second proviso to section 16 of CGST Act, only proportionate to the amount not paid to the supplier vis a vis the value of the supply, including tax payable.

6. The Council recommended to insert Rule 37A in CGST Rules, 2017 to prescribe the mechanism for reversal of input tax credit by a registered person in the event of non-payment of tax by the supplier by a specified date and mechanism for re-availment of such credit, if the supplier pays tax subsequently. **This would ease the process for complying with the condition for availment of input tax credit under section 16(2) (C) of CGST Act, 2017.**
7. Sub-rule (3) of rule 108 and rule 109 of the CGST Rules, 2017 to be amended to provide clarity on the requirement of submission of certified copy of the order appealed against and the issuance of final acknowledgment by the appellate authority. **This would facilitate timely processing of appeals and ease the compliance burden for the appellants.**
8. Rule 109C and FORM GST APL-01/03 W to be inserted in the CGST Rules, 2017 to provide the facility for withdrawal of an application of appeal up to certain specified stage. This would help in reducing litigations at the level of appellate authorities.
9. Circular to be issued to clarify that No Claim Bonus offered by the insurance companies to the insured is an admissible deduction for valuation of insurance services.
10. Circular to be issued for clarifying the issue of treatment of statutory dues under GST law in respect of the taxpayers for whom the proceedings have been finalised under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. Rule 161 of CGST Rules, 2017 and FORM GST DRC-25 also to be amended for facilitating the same.
11. Sub-rule (3) of rule 12 of CGST Rules, 2017 to be amended to provide for facility to the registered persons, who are required to collect tax at source under section 52 or deduct tax at source under section 51 of CGST Act, 2017, for cancellation of their registration on their request.
12. Circular to be issued for clarifying the issues pertaining to the place of supply of services of transportation of goods in terms of the proviso to sub-section (8) of section 12 of the IGST Act, 2017 and availability of input tax credit to the recipient of such supply. It has also been recommended that proviso to sub-section (8) of section 12 of the IGST Act, 2017 may be omitted.
13. Issuance of the following circulars in order to remove ambiguity and legal disputes on various issues, thus benefiting taxpayers at large:
    a. Procedure for verification of input tax credit in cases involving difference in input tax credit availed in **FORM GSTR-3B** vis a vis that available as per **FORM GSTR-2A** during FY 2017-18 and 2018-19.
    b. Clarifying the manner of re-determination of demand in terms of sub-section (2) of section 75 of CGST Act, 2017.
    c. Clarification in respect of applicability of e-invoicing with respect to an entity.

Measures for streamlining compliances in GST

14. Proposal to conduct a pilot in State of Gujarat for Biometric-based Aadhaar authentication and riskbased physical verification of registration applicants. Amendment in rule 8 and rule 9 of CGST Rules, 2017 to be made to facilitate the same. This will help in tackling the menace of fake and fraudulent registrations.
15. PAN-linked mobile number and e-mail address (fetched from CBDT database) to be captured and recorded in FORM GST REG-01 and OTP-based verification to be conducted at the time of registration on such PAN-linked mobile number and email address to restrict misuse of PAN of a person by unscrupulous elements without knowledge of the said PAN-holder.
16. Section 37, 39, 44 and 52 of CGST Act, 2017 to be amended to restrict filing of returns/ statements to a maximum period of three years from the due date of filing of the relevant return / statement.
17. FORM GSTR-1 to be amended to provide for reporting of details of supplies made through ECOs, covered under section 52 and section 9(5) of CGST Act, 2017, by the supplier and reporting by the ECO in respect of supplies made under section 9(5) of CGST Act, 2017.
18. Rule 88C and FORM GST DRC-01B to be inserted in CGST Rules, 2017 for intimation to the taxpayer, by the common portal, about the difference between liability reported by the taxpayer in FORM GSTR-1 and in FORM GSTR-3B for a tax period, where such difference exceeds a specified amount and/ or percentage, for enabling the taxpayer to either pay the differential liability or explain the difference. Further, clause (d) to be inserted in sub-rule (6) of rule 59 of CGST Rules, 2017 to restrict furnishing of FORM GSTR-1 for a subsequent tax period if the taxpayer has neither deposited the amount specified in the intimation nor has furnished a reply explaining the reasons for the amount remaining unpaid. This would facilitate taxpayers to pay/ explain the reason for the difference in such liabilities reported by them, without intervention of the tax officers.
19. Amendment in definition of "non-taxable online recipient" under section 2(16) of IGST Act, 2017 and definition of "Online Information and Database Access or Retrieval Services (OIDAR)" under section 2(17) of IGST Act, 2017 so as to reduce interpretation issues and litigation on taxation of OIDAR Services.

Note : The recommendations of the GST Council have been presented in this release containing major item of decisions in simple language for information of the stakeholders. The same would be given effect through the relevant circulars / notifications / law amendments which alone shall have the force of law. **(Release ID-1884399)**

माननीया वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को केन्द्रीय बजट 2023-24 हेतु बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से भेजे गये बजट पूर्व ज्ञापन के मुख्य बिन्दु सदस्यों की सूचनार्थ उद्धृत है:-

SPECIFIC FEW SUGGESTIONS ON BIHAR FOR UNION BUDGET 2023-24

Bihar is second largest state of the country in terms of population but it is far behind from many western and southern states on many fronts. It is true that Bihar has benefitted from the long term vision of our central leadership and commitment of state government, which together have worked for the infrastructural development of Bihar. But keeping in view the population density of the state, it deserves more attention towards overall development of the state. Particularly, under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister, Bihar has very long list of expectations from the forthcoming budget.

We are submitting **few Specific suggestions on Bihar for inclusion in Union Budget 2023-24** for your kind information and perusal: -

1. TO DECLARE STATE AS "INDUSTRIALLY BACKWARD STATE"

Bihar has historically suffered due to regressive Economic Policies and Public Investment decisions like :

- Policies relating to Freight Equalization and Royalty on Minerals have contributed losses of thousands of crores.
- The rivers originating outside the Nation cause repeated floods in the State, for which no control measures have been taken, resulting in huge losses year after year.
- The state suffered Three Divisions and each time its

economically developed areas have been taken away without any Compensation Packages.

- Price & Procurement Policies have not taken care of the surplus grain production in Bihar, causing enormous loss to farmers.
- Lack of Centre of Excellence in technical/management skill development.

On account of these policies, coupled with recent division, the State is not able to compete with others in attracting investment. It therefore needs special consideration. We have always demanded as **"Special Category Status State" which could not be granted till date, therefore, we now request that if it is not possible for any reason to grant Special Category Status to the state, this state may be declared as "Industrially Backward State"** and a policy package for Bihar on the pattern of the North-East Region policy to kick start development through tax/fiscal incentives for attracting investment in the state may be introduced, which will be helpful in raising per capita income of the state and will certainly lead to achieve the milestone of 5 Trillion Dollar economy..

2. **GAS PIPELINE TO CONNECT NORTH BIHAR**

For rapid industrialization in north Bihar it is essential to connect North Bihar by GAS Pipeline.

3. **Under Direct Tax**

- Madam, newly inserted provisions of TCS, particularly u/s 206C(1H) and of TDS u/s 194Q has caused undue hardship, as its compliance cost is very high, keeping in view the volume of transactions. Therefore, we request you to remove this provision immediately. If, for any reason, it is not possible, then we request you to modify the provisions suitably so that at the year end a consolidated collection/deduction of Tax at source from such persons may be allowed and return can be furnished accordingly.
- Further, the newly inserted provision of TDS u/s 194R has also caused undue hardship due to lack of clarity w.r.t. perquisites and may lead to unwanted litigations in future. We request you to revisit the provisions and restrict its scope for the intended purposes only. More particularly, we request to remove its applicability from the scheme and discounts offered by way of credit notes in the normal course of business.
- With due respect, take this occasion to draw your kind attention towards provision of interest on late payment of TDS/ICS u/s 201(1 A) and 276B & 276BB. Interest @1.5% per month or part of the month is charged on late payment of TDS/TCS from the date of deduction to the actual date of payment. The schedule time for payment of TDS/TCS is 7th of next month and incase the deductors miss the deadline for payment of TDS/TCS, even for a single day delay in payment of TDS/TCS, two months interest is charged resulting in payment of interest @3% for a single day delay. We would therefore request you to kindly rationalize this provisions and interest should be charged for the delayed period in days beyond the due date so as to make it more practical, reasonable and friendly for those paying the TDS/TCS.
- There has been lots of changes in Income Tax regarding sharing of various types of information with Income Tax Department. With introduction of AIS / TIS, it has become really burdensome for taxpayers, whenever erroneous details are captured due to incorrect information provided by the reportable entities in these information. We request you to allow correction to these information by the taxpayer and queries of such correction may be asked to the informant, in place of sending notices to taxpayers regarding mismatches.
- With the rapid digitalization, processing time of income tax returns have been reduced greatly and refund procedure has also become fast. Presently, last date of fding TDS returns for the last quarter of the financial year is 31st May of subsequent financial year. Further, updated TDS details are made available to taxpayers after next 15 days. Therefore, there are only 45 days time to file tax returns for unaudited entities. We request you to suitably amend the due date for filing of Income Tax Returns, in order to provide atleast 2 months for filing income tax returns after updation of TDS records.
- It has also been seen that every year, situationally either on account of flood , or festive season there arises need to extend the due date for filing audit report u/s 44AB and ITR u/s 139(1)

  It is suggested that the due date for filing ITR for the various class of person should be revised and extended by a month as below:
  31st July to 31st August
  30th September to 31st October
  31st October to 30th November
  30th November to 31st December

  The last date for filing belated return u/s 139(4) or revised return u/s 139(5) should also be revised to 31st March as previous because at least 3 month should be given to revise the filed return.
- Income-tax Slabs needs upward revision to a rational level' keeping in view of cost in past few years. Income Tax limit seriously needs an increase at least 5.00 Lac from 2.5 lac. We suggest to revise the slabs as below:
  Income between 5 lakhs to 10 lakhs - tax rate should be 10%
  Income between 10 lakhs to 15 lakhs - tax rate should be 15%
  Income between 15 lakhs to 20 lakhs - tax rate should be 20%
  Income between 20 lakhs to 25 lakhs - tax rate should be 25%
  Income 25 lakhs and above - tax rate should be 30%
  NIL Tax Rate for income upto Rs. 7.00 lakhs for Women/Senior Citizen
  NIL Tax Rate for income upto Rs. 10.00 lakhs for Super Senior Citizen
  Further, the marginal tax relief should also be provided so that a slightly higher income does not attract tax more than the amount of income, which is presently causing difficulty for those tax payers whose taxable income is in the range of Rs. 5,00,001 to 5,12,500/-
- Under normal tax slab, Senior Citizen are allowed benefits of 50,000 in the first slab, but limit for rebate u/s 87A is kept common for all. Thus, indirectly the tax benefit on 50,000 taxable incomes to senior citizen is taken back in this provision. Senior Citizen need better respect and support from Government. I request you to increase the limit for rebate u/s 87A to a minimum level of 7.50 Lac for senior citizen if the present tax slab structure continues.
- Rebate limit u/s 80C is 1.50 Lac only for more than a decade. Many more investment opportunities are included in this provision. I request you increase the limit u/s 80C to a minimum level of 3.00 Lac or at least 2.50 Lac. It would also help to increase investment through individual savings and life insurance sector.
- Limit for audit u/s 44AB is just 1 Cr since a long time. With the cost o f inflation, most of the common person other than salaried class are coming under the ambit of tax audit and subsequent tax deduction responsibility compliances. The small taxpayers, generally a single-man Enterprises, are forced to avoidable additional costs & compliance. Though Government has

increased the said limit u/s 44AD to 10 cr. in case of non-cash transaction (both receipts and expenses) do not exceed not more than 95% but practically small traders / MSMEs cannot limit their cash transaction within 5%. It is also quite difficult to have 6% of Sales / Turnover as Net profit in any business other than RETAIL I therefore request you to increase the limit u/s 44AB to minimum level of 5 Cr. in line with the turnover requirement for filing GSTR - 9C, in present economic affairs, if not more.

- We are thankful to the Govt, for permitting additional margin of 10% from stamp duty for residential units to boost the demand of real estate housing sector, we request to extend this relaxation to commercial real estate also. Further, Stamp duty is state subject and in many cases it has been fixed arbitrarily by the State Government and also cost of proportionate share of the land is further added to this, which raises the stamp duty value above the actual price of the property. In some area this gap is approx. 40%, therefore, we request you to make suitable provisions where a buyer can get it valued by the authorities or registered valuers at the time of purchase to avoid future litigations.
- New tax regime for domestic companies under section 115BA/115BAA/115BAB is really praiseworthy and we expect will soon give boost to the GDP. We request that this benefit may kindly be extended to partnership firms and LLPs.
- Income Tax rates for manufacturing companies under Section 115BAB has drawn attention of the world and has made the domestic manufacturing space the most competitive one. This has not only accelerated the pace of economy but has also lead to employment generation for the youths in the country. Madam, we would like to bring to your kind notice that the condition for commencement of commercial operation latest by 31sl day of March, 2024 must be extended for another 2 years to attract more and more investment in the manufacturing sector.
- **Madam, we would like to take liberty to make request for the special income tax rate of 5%, which may be introduced in this budget applicable for setting up manufacturing units in the "Industrially backward states" like Bihar.**
- Limit u/s 80D needs upward revision to match increased Health Insurance costs, particularly to senior citizens- Recently Insurance Companies have increased health insurance premium of senior citizens in particular. In lack of proper State- run health infrastructure, citizens are forced to go to costlier private health infrastructure and need higher insurance cover.
- **Section 43B of Income tax**
  As per Section 43 B, any sum payable by the assessee by way of tax/ duty/ cess/fees, or contribution to any provident fund or gratuity fund or bonus/ commission to employee shall be allowed as deduction only if such amount is actually made on or before the due date of submission of return of income under sec 139(1). It is suggested to allow deduction of such expenses till filing of income tax return i.e. even in case of belated return filed u/s 139(4).

4. **RESTORATION OF SECTION 80IB(5) OF INCOME TAX ACT 1961 WHICH WAS WITHDRAWN W.E.F. 01-04-2014**
   The Restoration of section would provide tax exemption for 3 to 5 years to new industrial units set up in 26 districts of Bihar.
5. **Manufacturing Sector** : This is a known fact that Bihar is lacking behind on this front and in spite of tireless effort of Hon. Chief Minister, no major investment in this sector could be made by big corporates or multinationals. Now, keeping in view the population of the state, it is responsibility of the Govt, to create more and more job opportunities for the youths of the state and undoubtedly, manufacturing sector comes first in the list when it comes to job creation. To attract, more capital investment, following are the major demands in the forthcoming budget:
   - Tax Holiday of at least for first five years.
   - Capital Investment Subsidy by way of deduction from direct tax liability based on the total capital investment made by the unit except land cost.
   - Capital Investment Subsidy by way of deduction from indirect tax liability (CGST) based on the total capital investment made by the unit except land cost.
   - For the growth of Rural area, Capital Investment Subsidy Rate should be made attractive. It will not only stop migration of youth from their own place but will also reduce increasing population and traffic load on metro cities.

   In the past, railways had made JV arrangement with Alstom and General Electric to set up rail engine factory in Bihar. We suggest that few more such units should be planned in the southern and western part of the state under Atmanirbhar Bharat package to generate more employment opportunities to the youth of the state.
   Similarly, ordnance factory was set up in the Nalanda district of the state. It has resulted in the infrastructural development of the area. We suggest that few more such units should be established in the different part of the state.
6. **Education Sector:** Bihari talent has always been discussed at various levels and it is a matter of pride for the state that in every position in Govt, offices, there is a Bihari IAS officer. Madam, this itself shows that state is full of talented young brains who are forced to migrate to other places as basic facilities such as recognized teaching universities, institutions are less in numbers and demand is quite high for admission in such institutions. Therefore, the youth of Bihar is forced to migrate to other places, which is not only expensive due to increased cost of living but they are otherwise trapped in the net of private coaching centers. Madam it is high time to think about improvement of infrastructures of education sectors and in addition to the other benefits as may be provided to this sector by the central Government and we demand the following facilities in the forthcoming budget:
   - Complete Tax Holiday for setting up private colleges / educational institutions in thestate first 10 Years.
   - Capital Investment Subsidy by way of deduction from direct/indirect tax liability, wherever applicable, based on the total capital investment made by these recognized institutions.
   - Special Tax deductions to teaching staff of these recognized institutions, who reside inthc state for teaching the students of these institutions.
   - Research plays key role in the development of a nation. Our Hon'ble Prime Minister has also said on several occasions regarding importance of research. But in our country, we do not focus much on this sector. There are many areas which require more and more researches particularly in the area of medical, engineering, social engineering, poverty elimination, public money spending, book keeping and accounting in Govt. Sector and many more. We demand that the state should be allotted first Exclusive Research University of the country, as it will not only attract youths of the state but will also be helpful in driving one step ahead the intelligent brains of the state and will fulfill the dream of Honorable Prime Minister of

"Atmanirbhar Bharat"

- We are thankful to the Govt. for setting up one IIT and one IIM in the state and demand one more unit of each in the north Bihar.

We are thankful to the Govt, for implementing new education policy, which focus more on the talent of the youth and nurture their career in the area of their interest. This will not only helpful for promoting the talent of a student but will also be helpful in providing them adequate employment opportunity and also to make some of them entrepreneur, who will generate employment for others. Start up and Stand up India scheme has already exhibited its potential in recent past.

7. **Healthcare Sector:** We are thankful to the Government for setting up a unit of AIIMS in the State Capital. It has proved a boon for the people of the state during this Covid-19 pandemic and saved many lives. We are thankful to the team of doctors and all staffs of the hospital for serving selflessly for the people of the state. We expect that further steps will now be taken by the Government to expand its facilities and making it comparable to the AIIMS, New Delhi. Madam, per capita income of people of the State is much below the national average and standard of living of the common mass of the State is also not good due to therefore, they are more prone to infectious and communicative diseases which spread rapidly as the density of population is quite high. People are forced to go outside the State in case of such diseases, as facilities in the state is very poor particularly if it comes to handling emergencies. Keeping in view the requirement of the common man of the state, we have huge expectations from the Govt, on this front, few such expectations are as under:
   - Increasing facilities at the AIIMS, Patna.
   - Setting up/ Upgradation of Primary Health Centers at Panchayat levels with minimum prescribed facilities.
   - Setting up/Upgradation of Emergency Health Centers at Block Levels with minimum prescribed facilities.
   - Setting up of smaller units like AIIMS at the District Level.
   - Promote private investment in this area, by way of several tax incentives.
   - Special Tax Incentives to Doctors/Nursing Staffs working in these institutions in the state.
8. **Tourism Sector:** Bihar is blessed with many great names at different places, Mahatma Gandhi with Champaran, Guru Gobind Singh ji with Patna Saheb, Gautam Buddha with Bodhgaya and other places of Buddha Circuit, Mahavir with Vaishali and other places of Jain Circuit, Shershah with Sasaram, Sufi Sant with Maner, Samrat Ashoka, Chanakya, Aryabhatt, Dr. Rajendra Prasad and many more. Pioneer educational institution like Nalanda University, Vikramshila University are pride of the State. There is very wide scope of tourism development in the state as it is blessed with golden history and we are quite hopeful that promoting this sector with special incentives and improvement on infrastructure outlay will not only encourage youth of the Bihar by creating more and more job opportunities in this area but will also be helpful in growth of retail business in the state with increased no. of tourists. For improvement of tourism in the state, in additions to other benefits as may be provided by the Government, our expectation and demand in the forthcoming budget are as under:
   - Promote setting up Hotel Industry, as there is not even a single five-star category hotel in the state, by way of Direct and Indirect Tax Holidays for at least five years.
   - Improve infrastructure of Loknayak Jaiprakash Narain Airport in the shortest possible span of time.
   - Speed up the work at proposed International Airport at Bihta.
   - Improve Infrastructure and connectivity of Gaya Airport.
   - Start flying from Muzaffarpur, Purnea, Bhagalpur and other possible places of the state.
   - Building Bridges, roads covering tourist destinations on as emergency basis.
9. Apart from above sector specific expectations, we expect few other facilities for overall growth of trade and commerce in the state:

Goods and Service Tax

- Compliance of GST is being difficult and costly for many small business houses due to lack of infrastructure facilities, lack of availability of knowledgeable consultants etc. particularly in the rural and/or sub-urban areas. We expect more support from the Government to make people tax compliant in the state, few of them are listed as below:
- Concept of **GST Mitra** should be introduced at Panchayats, Blocks and District Levels having at least one such "Mitra" at every Panchayat, at least "Two" at Block levels and at least "Five" at district level. This may be done on the PPP mode with a small financial support from the Government.
- Full Accounting software for traders should be developed and given to every registered taxable person free of cost. Software should be designed in such a manner that mere uploading of data will be sufficient and fulfill the requirement of furnishing returns.
- These small businesses may be incentivized by way of small cash back to their account for timely compliance of GST. Previously State VAT was also allowing rebate to such tax payers but this was restricted to 0.5% for all tax payers with maximum ceiling of Rs. 50000/- per year. We request reintroduction of this concept with cash back of at least 5% of tax paid by such tax payers with maximum ceiling of Rs. 1 Lakh per tax payer.

Setting up and start functioning of Goods and Service Tax Appellate Tribunal in the state without any further delay.

Allow revision of GSTR-3B.

Reduce the compulsion to purchase at least 80% of goods/services by builders or developers from registered persons, as this has resulted in reduced income of labours employed in the industry. Now most of the real estate companies are procuring manpower through contractors, who keeps their profit margins and pass only marginal amount to daily labours.

It was promised by the Government at the time of implementation of GST that it will be One Nation One Tax with seamless flow of credit across the country. But few controversial provisions of the statute is against the concept of the GST and has threatened entire business. Restrictions on input tax credit under Rule 36(4), Compulsory cash payment under Rule 86B, Time limit for taking credit under section 16(4) and harsh provisions of section 129 are few of those, which require your immediate attention. Now a days, huge no. of notices are being issued by the GST officials, thereby receiving irrelevant information again and again, sometime different offices enquire same issue from businessman and issue show cause notices without any basis. Preparation of reply and submission of bunch of documents are not only time consuming but also costly as businessmen have to take services of the professionals. We request that provision should be made in the statute itself to restrict the officials to issue more than one notice for any tax period. Moreover. Government should keep track of orders issuedby the offices, which is dropped by the appellate authorities, in order to judge the performance of the officials.

10. In Bihar the scheduled Commercial Banks are supposed to play an important role in the economic and industrial growth of Bihar but as there is no head office of any

scheduled commercial Bank situated in the State of Bihar and for development of Bihar it is requested to establish Head office of any scheduled Commercial Bank in the state which will enhance the economic development of Bihar as this State has a very poor CD ratio when compared to the National level though deposits are higher than the other States.

11. There is urgent need for setting up a National Company Law Tribunal (NCLT) Bench and Bench of Income Tax Settlement Commission (IT) at Patna having regard to the larger interest of Trade Commerce and Industries of the state of Bihar and Jharkhand and facilitate establishing of a Bench of NCLT and Bench of Income Tax Settlement Commission (IT) at Patna and providing justice at the nearest point to save time, money and energy for settling disputes.
12. The Amritsar-Delhi-Kolkata Industrial Corridor is a proposed economic corridor is India. It is an ambitious project aimed at developing an Industrial Zone spanning across seven States including Bihar and it is requested to approve financial assistance in this Budget for development of two thousand acre Industrial township along the route of this corridor in Bihar.
13. In order to reduce the compliance burden and cost of taxpayers. On like one nation one tax, itis hereby suggested to introduce single window clearing for all tax compliances.
14. Higher Income in the Agriculture sector be Taxed- Agriculture Income was always kept out of the tax net as social support to hard-working poor "Annadata" but with the change of time the Agriculture sector is playing a big role in Industrial growth and economy. Apart from this it is being misused to convert black-money into tax free white money by tax-evaders. It also creates disparity amongst the citizens against the fundamental rights of equality. To protect the self-employed farmers, Govt may allow 100 % tax benefits in every slabs to agriculture income i.e. if the general slabs are 2.5 or 5 or 10 or 20 Lac for general taxpayers, the agriculture income tax slabs may be fixed to 5 or 10 or 20 or 40 lacs respectively. This would also increase the tax base and help to reduce the tax rates in future apart from Govt, budgetary plans.
15. Senior Citizen's concessions in Railways should be immediately resumed - Withdrawal of senior citizens concession by Railways is a gross disregard to the life- time contributions of Senior Citizen in National growth.

जल्द ही दो सौ साल पुराने निबंधन दस्तावेज दिखने लगेंगे आनलाइन

अगर आपने 30, 40 या 50 साल पहले अपने मकान, फ्लैट या जमीन का निबंधन कराया है, तो उसके कागजात भी जल्द आनलाइन देख सकेंगे। निबंधन विभाग ने इस दिशा में पहल शुरू कर दी है। विभाग ने 1995 से पहले के दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया है। फिलहाल अभी से लेकर वर्ष 1995 तक के दस्तावेज के डिजिटाइजेशन का काम पूरा हो चुका है, जिसे आनलाइन देखा जा सकता है। इसके लिए राज्य सरकार की वेबसाइट भूमि जानकारी डाट काम पर निबंधन वर्ष, नाम, पिता का नाम, खाता, खेसरा आदि डालकर आनलाइन जानकारी पाई जा सकती है। (विस्तृत : दैनिक जागरण, 7.12.22)

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

LIST OF HOLIDAYS OF THE CHAMBER FOR THE YEAR 2023

S. N.	NAME OF HOLIDAYS	DATE	DAY	NO. OF DAYS
1.	New Year's Day	01.01.2023	Sunday	01
2.	Republic Day	26.01.2023	Thursday	01
3.	Holi	08.03.2023	Wednesday	02
	(Holi & Basiaura)	09.03.2023	Thursday	
4.	Ramnavmi	30.03.2023	Thursday	01
5.	Raksha Bandhan	30.08.2023	Wednesday	01
6.	Indepedence Day	15.08.2023	Tuesday	01
7.	Birthday of Mahatma Gandhi	02.10.2023	Monday	01
8.	Durga Puja - Ashtmi	22.10.2023	Sunday	03
	Navmi	23.10.2023	Monday	
	Dushmi	24.10.2023	Tuesday	
9.	Deepawali	12.11.2023	Sunday	01
10.	Chhath Puja, Sandhya	19.11.2023	Sunday	02
	Arghya & Paran	20.11.2023	Monday	
			Total	**14**

RESTRICTED HOLIDAYS

Employees can avail only three restricted holidays which are as follows :

S. N.	NAME OF HOLIDAYS	DATE	DAY
1.	Basant Panchami	26.01.2023	Thursday
2.	Mahashivratri	18.02.2023	Saturday
3.	Mahavir Jayanti	04.04.2023	Tuesday
4.	Eid-Ul-Fitr	22.04.2023	Saturday
5.	Eid-Ul-Zoha (Bakrid)	29.06.2023	Thursday
6.	Muharram	29.07.2023	Saturday
7.	Sri Krishna Janmashtami	06.09.2023	Wednesday
8.	Chitragupta Puja/ Bhaia Duj	15.11.2023	Wednesday
9.	Kartik Purnima/ Guru Nanak Jayanti	27.11.2023	Monday
10.	X-Mas Day	25.12.2023	Monday

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
SUBODH KUMAR JAIN
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-2677605, 2677505, 2677635
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Bharati Enterprises, Ph. : 0612-2661296